



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1177]
No. 1177]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2007/आश्विन 6, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2007/ASVINA 6, 1929

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2007

पोपीक्यू एंड एस का

निदेशालय, एनएच-IV,

फरीदाबाद।

[फा. सं. 19-1/2000-पीपी-1]

डब्ल्यू. आर. रेड्डी, संयुक्त सचिव (पीपी)

का.आ. 1674(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,—

(1) मद सं. (xvi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(xvi) डॉ. वसंत मुथुस्वामी, (इस अधिसूचना के उपमहानिदेशक, भारतीय प्रकाशन की तारीख से चिकित्सा अनुसंधान तीन वर्ष की अवधि के परिषद्, अंसारी नगर, लिए)”।
नई दिल्ली

(2) मद (xix) (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(xix) (क) डॉ. श्रीमती संध्या (इस अधिसूचना के कुलश्रेष्ठ, सचिव, केन्द्रीय प्रकाशन की तारीख से कीटनाशी बोर्ड और तीन वर्ष की अवधि के रजिस्ट्रीकरण समिति लिए)”।
(सीआईबी और आरसी),

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्पूर्वी संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए थे :-

- (i) सा.का.नि. 1216(अ) तारीख 19 अगस्त, 1971,
- (ii) सा.का.नि. 478(अ) तारीख 10 अगस्त, 1976,
- (iii) का.आ. 848(अ) तारीख 25 अक्टूबर, 1989,
- (iv) का.आ. 528(अ) तारीख 19 जुलाई, 1993,
- (v) का.आ. 849(अ) तारीख 20 अक्टूबर, 1995,
- (vi) का.आ. 346(अ) तारीख 24 अप्रैल, 1997,
- (vii) का.आ. 70(अ) तारीख 20 जनवरी, 1998,
- (viii) का.आ. 132(अ) तारीख 24 फरवरी, 1999,
- (ix) का.आ. 807(अ) तारीख 6 सितम्बर, 2000,
- (x) का.आ. 1095(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 2000,
- (xi) का.आ. 12(अ) तारीख 5 जनवरी, 2001,
- (xii) का.आ. 1167(अ) तारीख 23 नवम्बर, 2001,
- (xiii) का.आ. 1025(अ) तारीख 5 सितम्बर, 2003,
- (xiv) का.आ. 229(अ) तारीख 23 फरवरी, 2004,

- (xv) का.आ. 872(अ) तारीख 30 जुलाई, 2004,
 (xvi) का.आ. 1433(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2004, और
 (xvii) का.आ. 1080(अ) तारीख 29 जुलाई, 2005।

MINISTRY OF AGRICULTURE
 (Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2007

S.O. 1674(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely :—

In the said notification,—

(1) for item (xvi) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

- “(xvi) Dr. Vasantha Muthuswamy, (For a period of three years from the date of publication of this notification)”
 Deputy Director General,
 Indian Council for Medical Research, Ansari Nagar,
 New Delhi.

(2) for item (xix) (a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

- “(xix) (a) Dr. Mrs. Sandhya Kulshrestha, Secretary, Central Insecticide Board and Registration Committee (CIB & RC), Dte. of PPQ & S, NH-IV, Faridabad. (For a period of three years from the date of publication of this notification)”

[F.No. 19-1/2000-PP-I]

W. R. REDDY, Jt. Secy. (PP)

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971 and subsequently amended vide :—

- (i) G.S.R. 1216 dated the 19th August, 1971,
 (ii) G.S.R. 478(E) dated the 10th August, 1976,
 (iii) S.O. 848(E) dated the 25th October, 1989,
 (iv) S.O. 528(E) dated the 19th July, 1993,
 (v) S.O. 849(E) dated the 20th October, 1995,
 (vi) S.O. 346(E) dated the 24th April, 1997,
 (vii) S.O. 70(E) dated the 20th January, 1998,
 (viii) S.O. 132(E) dated the 24th February, 1999,

- (ix) S.O. 807(E) dated the 6th September, 2000,
 (x) S.O. 1095(E) dated the 7th December, 2000,
 (xi) S.O. 12(E) dated the 5th January, 2001,
 (xii) S.O. 1167(E) dated the 23rd November, 2001,
 (xiii) S.O. 1025(E) dated the 5th September, 2003,
 (xiv) S.O. 229(E) dated the 23rd February, 2004,
 (xv) S.O. 872(E) dated the 30th July, 2004,
 (xvi) S.O. 1433(E) dated the 31st December, 2004, and
 (xvii) S.O. 1080(E) dated the 29th July, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2007

का.आ. 1675(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

- “5. डॉ. श्रीमती संध्या कुलश्रेष्ठ,
 सचिव, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और
 रजिस्ट्रीकरण समिति, पीपीक्यू एंड
 एस का निदेशालय, एनएच-IV,
 फरीदाबाद। सदस्य”।

(2) क्रम संख्यांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

- “6. डॉ. वसंत मुथुस्वामी, उपमहानिदेशक,
 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्,
 अंसारी नगर, नई दिल्ली सदस्य”।

[फा. सं. 19-1/2000-पीपी-I]

डब्ल्यू. आर. रेड्डी, संयुक्त सचिव (पीपी)

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्पूर्वी संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए थे :—

- (i) का.आ. 420(अ) तारीख 30 मई, 1997,
 (ii) का.आ. 71(अ) तारीख 20 जनवरी, 1998,
 (iii) का.आ. 23(अ) तारीख 3 जनवरी, 2000,
 (iv) का.आ. 972(अ) तारीख 2 नवम्बर, 2000,

- (v) का.आ. 11(अ) तारीख 5 जनवरी, 2001,
- (vi) का.आ. 147(अ) तारीख 1 फरवरी, 2002,
- (vii) का.आ. 1024(अ) तारीख 5 सितम्बर, 2003,
- (viii) का.आ. 873(अ) तारीख 30 जुलाई, 2004,
- (ix) का.आ. 1434(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2004 और
- (x) का.आ. 1081(अ) तारीख 29 जुलाई, 2005 ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2007

S.O. 1675(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, namely :—

In the said notification,—

(1) For serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

- “5. Dr. Mrs. Sandhya Kulshrestha,
Secretary, Central Insecticide
Board and Registration Com-
mittee, Dte. of PPQ & S, NH-IV,
Faridabad. Member.”

(2) For serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

- “6. Dr. Vasantha Muthuswamy,
Deputy Director General, Indian
Council for Medical Research,
Ansari Nagar, New Delhi. Member.”

[F. No. 19-1/2000-PP-I]

W. R. REDDY, Jt. Secy. (PP)

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997 and subsequently amended *vide* :—

- (i) S.O. 420(E) dated the 30th May, 1997, .
- (ii) S.O. 71(E) dated the 20th January, 1998,
- (iii) S.O. 23(E) dated the 3rd January, 2000,
- (iv) S.O. 972(E) dated the 2nd November, 2000,
- (v) S.O. 11(E) dated the 5th January, 2001,
- (vi) S.O. 147(E) dated the 1st February, 2002,
- (vii) S.O. 1024(E) dated the 5th September, 2003,
- (viii) S.O. 873(E) dated the 30th July, 2004,
- (ix) S.O. 1434(E) dated the 31st December, 2004,
- (x) S.O. 1081(E) dated the 29th July, 2005.